18/7/19

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट की अपीलांट उपस्थित नहीं। रीस्पोंडेंट वकील उपस्थित। पैरोकार राज उपस्थित। वक्त बहस अपील के बिन्दुओं पर आगाह करने पर राजकीय अभिभाषक ने बताया कि अपीलाधीन निर्णय से अपीलांट व्यथित नहीं है परन्तु राजकीय हित प्रभावित है यदि इसमें अपील नहीं हुई है तो समुचित निर्देश प्राप्त कर अपील प्रस्तुति की कार्यवाही की जानी उचित होगी।

अपील अपीलांट अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फौरन शुमार होकर रेकर्ड से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner